SHODH SAMAGAM
ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रदीप कुमार, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
प्रदीप कुमार, शोध छात्र
E-mail : pkr990@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 08/12/2025
Revised on : 09/02/2026
Accepted on : 18/02/2026
Overall Similarity : 00% on 10/02/2026

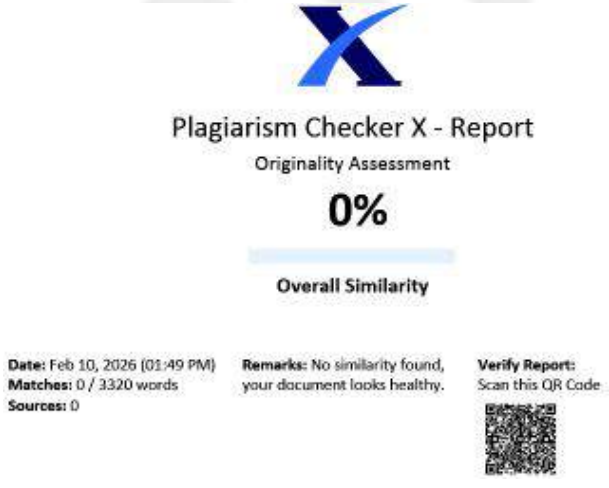

शोध सार

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका तथा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया का समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के पश्चात ग्रामीण शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार विकसित हुई है और इसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। शोध से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि पंचायती राज संस्थाएँ महिलाओं के लिए राजनीतिक सहभागिता का एक प्रभावी मंच प्रदान करती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक जागरूकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि महिला आरक्षण नीति के परिणामस्वरूप महिलाओं का प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूप से बढ़ा है, किंतु निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में उनकी वास्तविक और स्वतंत्र भूमिका अब भी अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक बाधाओं से प्रभावित है। पितृसत्तात्मक मानसिकता, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता तथा पारिवारिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएँ महिलाओं की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। शोध निष्कर्षतः यह प्रतिपादित करता है कि पंचायती राज में महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण हेतु केवल संवैधानिक आरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के समन्वित प्रयास भी अनिवार्य हैं।

मुख्य शब्द

पंचायती राज, महिला, राजनीति, आरक्षण.

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा उसकी जमीनी संरचना में निहित है, जहाँ आम नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन

की प्रक्रिया से जुड़ता है। इसी संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे सशक्त एवं जीवंत इकाई के रूप में उभरती है। यह व्यवस्था न केवल प्रशासन के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीण समाज को निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी प्रदान करती है। स्वतंत्रता के पश्चात यह अनुभव किया गया कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब सत्ता का प्रवाह ग्राम स्तर तक पहुँचे और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों का निर्माण हो। पंचायती राज व्यवस्था इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इस दिशा में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के रूप में त्रि–स्तरीय ढांचे को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। साथ ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सामाजिक न्याय और समावेशी लोकतंत्र को सुदृढ़ किया गया। विशेष रूप से महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान ग्रामीण शासन में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल थी, जिसने राजनीति के परंपरागत स्वरूप को चुनौती दी। भारतीय समाज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत जटिल रही है। परंपरागत पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सामाजिक रूढ़ियाँ और शिक्षा की कमी लंबे समय तक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर रखती रही। यद्यपि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, किंतु स्वतंत्रता के बाद भी उनकी राजनीतिक सहभागिता अपेक्षाकृत सीमित रही। पंचायती राज व्यवस्था ने पहली बार ग्रामीण महिलाओं को संगठित रूप में राजनीतिक मंच प्रदान किया, जिससे वे न केवल प्रतिनिधि बनीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं के समाधान में भी सहभागी हुईं।

वर्तमान परिदृश्य में ग्राम स्तर पर निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ती हुई दिखाई देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, महिला एवं बाल विकास जैसे मुद्दों पर महिला प्रतिनिधियों की संवेदनशील दृष्टि ने विकास की प्राथमिकताओं को नई दिशा दी है। कई अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भागीदारी से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक न्याय की भावना को बल मिला है। हालांकि यह भी सत्य है कि अनेक क्षेत्रों में उनकी भूमिका अभी भी औपचारिक या प्रतीकात्मक बनी हुई है, फिर भी यह प्रक्रिया ग्रामीण समाज में सत्ता–संतुलन के परिवर्तन का संकेत देती है।

अतः पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और निर्णय–निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाता है। यह अध्ययन न केवल ग्रामीण लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक होगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियों, सीमाओं और संभावनाओं का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा साथ ही, यह शोध नीति–निर्माताओं, प्रशासकों और समाज के लिए भविष्य की रणनीतियाँ निर्धारित करने में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

साहित्य समीक्षा

बीना अग्रवाल (2010), ने अपनी कृति जेंडर एंड गवर्नेंस इन रूरल इंडिया में ग्रामीण भारत की शासन व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का सूक्ष्म और गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आपके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित न रहकर सामाजिक समानता और समावेशी विकास का सशक्त माध्यम बन सकती है। आपने यह प्रतिपादित किया है कि जब महिलाएँ निर्णय–निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को विशेष प्राथमिकता प्राप्त होती है। यह अध्ययन महिला नेतृत्व को लोकतांत्रिक सुदृढ़ता का आधार सिद्ध करता है।

एस. एन. मिश्रा (2012) ने अपनी पुस्तक पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का यथार्थवादी मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। आपके अनुसार संवैधानिक आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक मंच प्रदान किया है, किंतु सामाजिक रूढ़ियाँ और पारिवारिक हस्तक्षेप उनके स्वतंत्र निर्णय–निर्माण में बाधक बने हुए हैं। आपने स्पष्ट किया है कि वास्तविक सशक्तिकरण केवल विधिक प्रावधानों

से संभव नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। यह कृति ग्रामीण लोकतंत्र की संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करती है।

रजनी कोठारी (2008) ने अपनी रचना भारतीय राजनीति में भागीदारी के आयाम भारतीय राजनीति में जनभागीदारी की अवधारणा को सैद्धांतिक गहराई प्रदान की है। आपके अनुसार लोकतंत्र की सार्थकता सत्ता के विकेंद्रीकरण और नागरिक सहभागिता पर आधारित होती है। आपने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को लोकतांत्रिक प्रशिक्षण का प्रभावी माध्यम माना है, जहाँ महिलाएँ राजनीतिक चेतना और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। यह कृति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाती है।

योजना आयोग (2014), पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रस्तुत यह प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थाओं के कार्य–प्रणाली का व्यापक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करता है। आपके निष्कर्षों के अनुसार महिला प्रतिनिधित्व से ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक न्याय की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है साथ ही, आपने यह भी स्वीकार किया है कि निर्णय–निर्माण में महिलाओं की प्रभावशीलता सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। यह रिपोर्ट पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की नीतिगत संभावनाओं को स्पष्ट करती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
2. निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का अध्ययन करना।
3. महिला प्रतिनिधियों के सामने आने वाली सामाजिक–राजनीतिक बाधाओं की पहचान करना।

शोध प्रश्न

1. क्या पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी केवल औपचारिक है?
2. निर्णय–निर्माण में महिलाओं की भूमिका किन कारकों से प्रभावित होती है?

शोध परिकल्पना

1. पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण नीति के लागू होने से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, किंतु निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उनकी वास्तविक और स्वतंत्र भूमिका अभी भी सीमित बनी हुई है।
2. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भूमिका उनके सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर करती है; जहाँ इन कारकों का स्तर उच्च है, वहाँ महिलाओं की निर्णय–निर्माण क्षमता और नेतृत्व अधिक सशक्त दिखाई देता है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं निर्णय–निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है। इस शोध में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें संबंधित पुस्तकों, शोध पत्रों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्टों तथा आयोगों एवं समितियों की अनुशंसाएँ सम्मिलित हैं। अध्ययन में सामग्री विश्लेषण विधि के माध्यम से उपलब्ध साहित्य का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है साथ ही, तुलनात्मक अध्ययन द्वारा विभिन्न पक्षों की तुलना कर निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसके अतिरिक्त, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम सहित सांविधिक दस्तावेजों का विश्लेषण कर महिलाओं की संवैधानिक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है।

पंचायती राज व्यवस्थाः सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की वह आधारशिला है, जिसके माध्यम से शासन को जनसाधारण के निकट लाने का प्रयास किया गया है। इसकी मूल अवधारणा सत्ता के विकेंद्रीकरण, जनभागीदारी और स्थानीय स्वशासन पर आधारित है। पंचायती राज का तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है, जिसमें ग्राम स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को केवल एक संवैधानिक सिद्धांत न मानकर उसे जनजीवन से जोड़ने का माध्यम बनाती है।

महात्मा गांधी का 'ग्राम स्वराज' का विचार पंचायती राज की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गांधीजी के अनुसार भारत की आत्मा उसके गाँवों में निवास करती है और सच्चा स्वराज तभी संभव है जब गाँव आत्मनिर्भर एवं स्वशासित हों। उन्होंने ग्राम पंचायत को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की मूल इकाई के रूप में देखा। गांधीजी का यह विचार केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की अवधारणा भी प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अनिवार्य मानी गई है।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की दिशा में अनेक समितियों का गठन किया गया, जिनमें बलवंत राय मेहता समिति (1957) का विशेष महत्व है। इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की तथा त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाकृग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्कृको अपनाने का सुझाव दिया। इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना प्रारंभ हुई।

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का कार्य 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा किया गया। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संविधान के भाग–IX में स्थान दिया गया तथा उन्हें स्थायित्व, नियमित निर्वाचन, वित्तीय अधिकार और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए। विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने पंचायती राज को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाया। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरों पर आधारित है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद्। यह त्रि–स्तरीय संरचना स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना निर्माण और क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र को सशक्त, सहभागी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार प्रदान करती है।

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका

पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक सहभागिता का एक नया द्वार खोला है। संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त प्रतिनिधित्व ने महिलाओं को न केवल सत्ता की संरचना का हिस्सा बनाया है, बल्कि उन्हें स्थानीय शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान किया है। आज महिलाएँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् जैसे तीनों स्तरों पर प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं और ग्रामीण समाज के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी दिखाई देती है। सरपंच, उपसरपंच अथवा पंच के रूप में वे गाँव की दैनिक समस्याओं से सीधे जुड़ी होती हैं। जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विषयों पर उनकी भागीदारी ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक संवेदनशील और जनोन्मुखी बनाया है। पंचायत समिति स्तर पर महिलाएँ विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी में सहभागी बनती हैं, जबकि जिला परिषद् स्तर पर उनकी भूमिका नीति निर्माण, संसाधन वितरण और व्यापक विकास योजनाओं के निर्धारण में उभरकर सामने आती है। इस प्रकार तीनों स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता ने पंचायती राज को अधिक समावेशी स्वरूप प्रदान किया है।

विकास योजनाओं के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, जैसेकृमनरेगा, आवास योजनाएँ, पेयजल परियोजनाएँ और स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी सहभागिता से योजनाओं के लाभार्थी चयन में पारदर्शिता बढ़ी है तथा वंचित वर्गों तक योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित हुई है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की उपस्थिति से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सुधार हुआ है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े निर्णयों में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से संवेदनशील और प्रभावशाली रही है। विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने, आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वच्छता अभियानों में महिला प्रतिनिधियों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इन क्षेत्रों में उनकी सहभागिता ने विकास की प्राथमिकताओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का कार्य किया है।

पंचायती राज में महिलाओं के नेतृत्व का एक नया स्वरूप उभरकर सामने आ रहा है। प्रारंभिक दौर में जहाँ उनकी भूमिका अक्सर औपचारिक मानी जाती थी, वहीं वर्तमान में अनेक महिलाएँ आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता के साथ नेतृत्व कर रही हैं। यद्यपि सामाजिक बाधाएँ अब भी विद्यमान हैं, फिर भी महिला नेतृत्व की यह उभरती प्रवृत्ति ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त और संतुलित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देती है।

निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी

पंचायती राज व्यवस्था में निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया एक औपचारिक लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत संचालित होती है, जिसमें ग्राम सभा, पंचायत की बैठकों और समितियों के माध्यम से नीतिगत एवं विकासात्मक निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रस्ताव रखने, चर्चा में भाग लेने और निर्णयों पर मत व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। कागजी रूप से यह व्यवस्था महिलाओं की समान सहभागिता सुनिश्चित करती है, किंतु व्यावहारिक स्तर पर इसकी स्थिति अधिक जटिल दिखाई देती है।

वास्तविकता यह है कि निर्णय–निर्माण में महिलाओं की भूमिका कई स्थानों पर वास्तविक होने के साथ–साथ अनेक क्षेत्रों में अब भी नाममात्र बनी हुई है। कुछ पंचायतों में महिलाएँ स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त कर निर्णय लेती हैं, वहीं कई स्थानों पर उनकी भूमिका केवल हस्ताक्षर करने या बैठकों में औपचारिक उपस्थिति तक सीमित रह जाती है। यह अंतर मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक समर्थन और प्रशासनिक अनुभव से जुड़ा हुआ है।

निर्णय–निर्माण में महिलाओं की प्रभावशीलता को सीमित करने वाली एक प्रमुख समस्या "सरपंच पति" जैसी प्रवृत्तियाँ हैं। इस स्थिति में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य वास्तविक सत्ता का प्रयोग करते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल महिलाओं की राजनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करती है, बल्कि पंचायती राज की लोकतांत्रिक भावना के भी विरुद्ध है।

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महिलाओं की सहभागिता भी निर्णय–निर्माण की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जहाँ अधिकारी सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, वहाँ महिला प्रतिनिधियाँ अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य करती हैं। इसके विपरीत, प्रशासनिक उदासीनता या उपेक्षा उनकी भूमिका को सीमित कर देती है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक दबाव और पारिवारिक हस्तक्षेप भी महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय–निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। पारंपरिक सामाजिक अपेक्षाएँ, घरेलू दायित्व और सामुदायिक दबाव अक्सर उनकी सक्रियता को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद, निर्णय–निर्माण में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ग्रामीण लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देती है।

पंचायती राज में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद उनके समक्ष अनेक संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जो उनके प्रभावी नेतृत्व और स्वतंत्र निर्णय–निर्माण को सीमित करती हैं। इनमें सर्वप्रमुख चुनौती पितृसत्तात्मक मानसिकता है, जो ग्रामीण समाज में गहराई से व्याप्त है। यह मानसिकता महिलाओं को अब भी घरेलू भूमिकाओं तक सीमित मानती है और सार्वजनिक निर्णयों में उनकी क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। परिणामस्वरूप, कई बार महिला प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है।

अशिक्षा एवं राजनीतिक अनुभव की कमी भी महिलाओं के समक्ष एक महत्वपूर्ण बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के सीमित अवसरों के कारण अनेक महिला प्रतिनिधि प्रशासनिक प्रक्रियाओं, विधिक प्रावधानों और योजनाओं की जटिलताओं को पूरी तरह समझ नहीं पातीं। राजनीतिक अनुभव के अभाव में वे बैठकों में सक्रिय सहभागिता और प्रभावी संवाद स्थापित करने में संकोच करती हैं, जिससे उनकी भूमिका औपचारिक बनकर रह जाती है।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक निर्भरता महिलाओं की राजनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करती है। स्वयं की आय के अभाव में वे परिवार या अन्य हितसमूहों पर निर्भर रहती हैं, जिसका प्रभाव उनके निर्णयों पर भी पड़ता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करना कठिन हो जाता है।

सामाजिक–सांस्कृतिक बंधन भी महिलाओं की सक्रियता को सीमित करते हैं। पारंपरिक मान्यताएँ, घरेलू दायित्व, सामाजिक आलोचना और मान–सम्मान की चिंता उन्हें सार्वजनिक जीवन में पूरी क्षमता के साथ कार्य करने से रोकती हैं साथ ही, राजनीतिक दलों का सीमित सहयोग भी एक गंभीर चुनौती है। चुनाव के समय तो महिलाओं को समर्थन मिलता है, किंतु निर्वाचित होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संगठनात्मक सहयोग अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद, महिलाएँ निरंतर संघर्ष करते हुए पंचायती राज व्यवस्था में अपनी भूमिका को सुदृढ़ बना रही हैं, जो ग्रामीण लोकतंत्र के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

महिला आरक्षण नीति का प्रभाव

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए लागू 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण की नीति ने ग्रामीण राजनीति के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किया है। इस प्रावधान के परिणामस्वरूप महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद् तक प्रतिनिधित्व करने लगी हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का स्तर बढ़ा है तथा वे अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की प्रक्रियाओं के प्रति अधिक सचेत हुई हैं। महिला आरक्षण नीति ने महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के विकास को भी प्रोत्साहित किया है। अनेक महिला प्रतिनिधियों ने निर्णय–निर्माण, प्रशासनिक समन्वय और विकास योजनाओं के संचालन में दक्षता प्रदर्शित की है। इसके साथ ही, यह नीति ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन के संकेत भी देती है, जहाँ महिलाओं को सार्वजनिक नेतृत्व की भूमिका में स्वीकार किया जाने लगा है।

हालाँकि, आलोचनात्मक दृष्टि से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल आरक्षण से वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं होता। सामाजिक रूढ़ियाँ, पारिवारिक हस्तक्षेप और नाममात्र की भागीदारी जैसी समस्याएँ अब भी विद्यमान हैं। अतः आरक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण आवश्यक है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का सबसे प्रभावी और सुलभ माध्यम बनकर उभरी है। स्थानीय स्वशासन की इस संरचना ने ग्रामीण महिलाओं को पहली बार संगठित रूप में सत्ता और प्रशासन से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। इस दृष्टि से पंचायती राज को महिलाओं के लिए लोकतंत्र का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है, जहाँ से वे सार्वजनिक जीवन

में सहभागिता, नेतृत्व और निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में कदम रखती हैं। ग्राम स्तर पर उनकी उपस्थिति ने लोकतंत्र को अधिक सहभागी और समावेशी बनाया है।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि यद्यपि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, किंतु निर्णय–निर्माण में उनकी वास्तविक भागीदारी अब भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका औपचारिक या प्रतीकात्मक दिखाई देती है, जहाँ निर्णयों पर प्रभाव पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना या पारिवारिक हस्तक्षेप का रहता है। "सरपंच पति" जैसी प्रवृत्तियाँ इस वास्तविकता को उजागर करती हैं कि संवैधानिक अधिकारों के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण अधूरा है। महिला आरक्षण नीति ने पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि आरक्षण आवश्यक तो है, परंतु पर्याप्त नहीं। केवल संख्या में वृद्धि से सशक्तिकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। इसके लिए महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, प्रशासनिक सहयोग और सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

अतः यह स्पष्ट है कि पंचायती राज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण अनिवार्य है। शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक चेतना के बिना वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। यदि इन पहलुओं पर गंभीर प्रयास किए जाएँ, तो पंचायती राज व्यवस्था न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र को भी अधिक मजबूत, न्यायपूर्ण और प्रभावी स्वरूप प्रदान करेगी।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, बी. (2010) *ग्रामीण भारत में लैंगिक शासन और महिला भागीदारी.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार (1993) *भारत का संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992.* विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. मिश्रा, एस. एन. (2012) *पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण.* रजत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
4. कोठारी, रजनी (2008) *भारतीय राजनीति.* ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
5. योजना आयोग (2014) *पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन प्रतिवेदन.* भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. देसाई, मीराबेन एवं ठक्कर, उषा (2007) *भारतीय समाज में महिलाएँ.* नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।

****